न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 132 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 293 / 2019

निधि उर्फ कृति सिंह, पिता–दुष्यंत सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष,
साकिन–दरवेशपुरा, थाना–सकसोहरा, जिला–पटना.....आवेदिका अभियुक्ता

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदिका अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

12.03.2026

आवेदिका अभियुक्ता निधि उर्फ कृति सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438(2) दं.प्र.सं. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 293 / 2019, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. से सम्बंधित है।

आवेदिका अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदिका अभियुक्ता की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका अभियुक्ता निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नही किया है। आवेदिका अभियुक्ता निधि उर्फ कृति सिंह गरीब परिवार से है और अपने परिवार का भरण–पोषण के लिए नव्या इंटरप्राईजेज में काम करती थी। आवेदिका अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित धारा पूरी तरह से गलत है। इस वाद में अभियुक्त नव्या इंटरप्राईजेज के मालिक राहुल कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4454 / 2023 दिनांक 30.08.2023 को इसी न्यायालय द्वारा जमानत दिया गया है। आवेदिका अभियुक्ता के फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदिका अभियुक्ता सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदिका अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि, इस वाद के सूचक विश्वरंजन बेहेरा हैं। इन्होंने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष बाढ़ को दिया है, जिसमें कहा है कि वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में इनका मोबाईल खराब होने के कारण नव्या इंटरप्राइजेज के पास गये तो उस दुकान के मालिक राहुल कुमार मोबाईल ठीक करने हेतू अपने पास रख लिया। जब ये मोबाईल लेने गये तो वे उनको एक विज्ञापन, मोबाईल लोन से संबंधित दिखाए और वो इनसे आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की फोटो कॉपी की मांग किया, ताकि मोबाईल लोन अनुमोदन कर सके। जब ये लोन संबंधी जानकारी प्राप्त करने उनके पास गया तो वे इन्हें फार्म अस्वीकार होने की जानकारी दी और रिपेयरिंग में दिया मोबाईल लेके ये चले आये। कुछ महीना बीतने के बाद 08 अप्रैल 2019 को इनके एस.बी.आई एकाउन्ट से 1824 रुपये की कटौती हुआ, जिसका कारण कोई Comden Town Tec Tr for DDR Installment था जो कि ZEST Money नामक वेबसाईट से जुड़ा हुआ था। जब इन्होंने ग्राहक सेवा से बात किया तब इन्होंने जाना की कोई इनके आधार कार्ड से लोन अप्लाई करके पैसा उठाया है, जिसका मासिक किस्त इनके अकाउंट से काटा जा रहा है। पुनः 13 मई 2019 को इनके अकाउंट से 507 रुपया का कटौती हुआ।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 132/2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 293/2019

लगातारृ
12.03.2026

वह आदमी इन्हें तथा सैकड़ों व्यक्तियों को लोन के जाल में फंसाया है। नव्या इंटरप्राइजेज में राहुल कुमार के अतिरिक्त और भी 4–5 लोग साथ में काम करते थे, जिसमें एक का नाम मुकेश कुमार और एक का नाम निधि थी।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में प्राथमिकी धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120(B) भा.द.वि. के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः बयान अंकित किया गया है, जिसमें प्राथमिकी में कही गई बातों का समर्थन किया है। कंडिका–6, 15, 16, 17, 18 में साक्षियों का बयान अंकित किया गया है, जिन्होंने सुनी–सुनाई बातों पर रुपया ठगने की बात कहा है। कंडिका–33 में अभियुक्त राहुल कुमार का आवेदन का उल्लेख है, जिसमें कहा है कि लोन आई. डी. जस्ट मनी के द्वारा दिया गया है, इसी कारण इन्हें लोन के बारे में पता नहीं चल सका। इसके अतिरिक्त कांड दैनिकी में कोई उल्लेखनीय तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि इस वाद के मुख्य अभियुक्त राहुल कुमार सूचक से आधार कार्ड, बैंक पासबुक का छायाप्रति प्राप्त कर मोबाईल कंपनी से मोबाईल, ऋण पर खरीद किया है, जिसका माहवारी किस्त 507 रुपया है, जो सूचक के बचत खाते से कट रहा है। कूल मिलाकर 2331 रुपया सूचक के खाते से पैसा कटा है। सूचक के शिकायत के पश्चात् ऋण कटना बंद हुआ। सूचक के खाते से 1824 और 507 कुल 2331 रुपया का कटौती हुआ है। इस प्रकार सूचक को मात्र 2331 रुपया का नुकसान हुआ है, जिसे इस वाद के मुख्य अभियुक्त राहुल कुमार के द्वारा चुका दिया गया है और जिन्हें अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4454/2023 दिनांक 30.08.2026 को इसी न्यायालय द्वारा जमानत दिया गया है जबकि यह आवेदिका उस नव्या इंटरप्राईजेज में एक कर्मचारी के रुप में काम करती थी, इनका सीधा इस धोखा–धड़ी में हाथ नहीं है। इस वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् आवेदिका अभियुक्ता निधि उर्फ कृति सिंह को आदेश प्राप्ति के तिथि से 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000/रुपये का बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो समान प्रतिभू दाखिल करने पर जो कि विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर होगा व धारा 438(2)द.प्र.स. के शर्तों के अधीन होगा, अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़